एम. जयापॉल से पहले, जे.

न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी वैट).—अपीलकर्ता

बनाम

सुषमा और अन्य-प्रतिवादी

2013 का एफएओ नंबर **124**

जनवरी **11,2013**

*मोटर वाहन अधिनियम, **1988** - धारा **166** - मुआवजे की मात्रा के खिलाफ अपील - विधवा को केवल आश्रित के रूप में - उसकी आय का **1/3** काटा गया - तर्क दिया गया कि आय का % काटा जाना चाहिए था - माना गया, मृत विवाहित व्यक्ति की तुलना मृत कुंवारे व्यक्ति से नहीं की जा सकती - विवाहित व्यक्ति में संतान न होने पर भी अपने परिवार के लिए अधिक बचत करने की प्रवृत्ति होती है - अपील खारिज कर दी गई।*

*यह माना गया कि यह स्पष्ट है कि उपरोक्त अनुपात उस स्थिति से निपटता नहीं है जहां मृतक ने आश्रित-दावेदार के रूप में केवल अपनी विधवा को छोड़ दिया था, लेकिन उपरोक्त अनुपात वास्तव में एक सुराग प्रदान करता है कि यदि मृतक कुंवारा था और आश्रित उसके माता-पिता ही थे, कुंवारे की ओर से अपनी कमाई का अधिकांश हिस्सा अपने व्यक्तिगत खर्चों पर खर्च करने की प्रवृत्ति होगी। इसलिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि यदि कोई कुंवारा अपने माता-पिता को अकेला छोड़कर मर गया है, तो मृत कुंवारे की आय का **50%** उसके व्यक्तिगत खर्चों के लिए काटना आदर्श होगा। लेकिन मेरे विचार में, एक विवाहित व्यक्ति परिवार में अधिक जिम्मेदार हो जाता है, भले ही उसके कोई संतान न हो। एक मृत विवाहित व्यक्ति की तुलना एक मृत कुंवारे व्यक्ति से नहीं की जा सकती। यदि किसी व्यक्ति की शादी हो चुकी है तो उसकी प्रवृत्ति अपने बच्चों की देखभाल के लिए अपनी अच्छी-खासी आय बचाने की होती है, जो बाद में पैदा होंगे। इसके अलावा, उसे अपनी पत्नी के मेडिकल खर्चों के लिए भी बचत करनी होगी जो जल्द ही गर्भवती हो सकती है। इसलिए, मेरे सुविचारित विचार में, मृतक की आय का केवल **1/3** हिस्सा काटना उचित होगा, यदि वह अपने पीछे केवल अपनी विधवा छोड़ गया है।*

(पैरा 4)

इसके अलावा, उपरोक्त के मद्देनजर, मुझे लगता है कि ट्रिब्यूनल ने मृतक की आय का एक तिहाई हिस्सा उसके व्यक्तिगत खर्चों के लिए काट लिया है। मुझे ट्रिब्यूनल द्वारा पारित फैसले

में कोई त्रुटि नहीं मिली। अपील विफल हो जाती है और इसे तत्काल ख़ारिज कर दिया जाता है।

अपीलार्थी की ओर से श्री अश्वनी ताई वार, अधिवक्ता।

एम. जयपालज.

(1) ट्रिब्यूनल द्वारा तय मुआवजे की मात्रा से व्यथित होकर, तीसरा प्रतिवादी-न्यू इंडी ए एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्तमान अपील के साथ आगे आया है।

(2) यशवन्त खास मोटर दुर्घटना का शिकार हो गये और अपनी पत्नी सुषमा को एकमात्र आश्रित के रूप में छोड़कर मर गये।

(3) ट्रायल कोर्ट ने अंततः निर्भरता के नुकसान को पूरा करने के लिए मृतक की आय से उसके व्यक्तिगत खर्चों के लिए एक तिहाई की कटौती की। अपीलकर्ता-न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा की गई एकमात्र संक्षिप्त दलील यह थी कि *श्रीमती सरला वरीना और अन्य बनाम दिल्ली परिवहन निगम और अन्य,*[1]में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार; मृतक की आय का आधा हिस्सा उसके व्यक्तिगत खर्चों के लिए काटा जाना चाहिए था क्योंकि वह अपने पीछे केवल एक आश्रित अर्थात् अपनी विधवा को छोड़ गया था।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सारी ए वेन्ना मामले (सुप्रा) में निम्नलिखित निर्णय दिया है:-

14. हालांकि कुछ मामलों में व्यक्तिगत और जीवन-यापन के खर्चों के लिए की जाने वाली कटौती की गणना ट्राई आई ओके चंद्रा में दर्शाई गई इकाइयों के आधार पर की जाती है, सामान्य अभ्यास मानकीकृत कटौती लागू करना है। उनके न्यायालय के बाद के कई निर्णयों पर विचार करने के बाद, हमारा विचार है कि जहां मृतक का विवाह हुआ था, वहां मृतक के व्यक्तिगत और जीवन-यापन के खर्चों के लिए कटौती एक तिहाई (I/3rd) होनी चाहिए, जहां आश्रित परिवार के सदस्यों की संख्या 2 से 3 है। एक-चौथाई (I/4th) जहां आश्रित परिवार के सदस्यों की संख्या 4 से 6 है, और एक-पांचवां (I/5th) जहां आश्रित परिवार के सदस्यों की संख्या छह से अधिक है।

15. जहां मृतक कुंवारा था और दावेदार माता-पिता हैं, वहां कटौती एक अलग सिद्धांत का पालन करती है। कुंवारे लोगों के संबंध में, आम तौर पर, व्यक्तिगत और रहने के खर्च के रूप में 50% की कटौती की जाती है, क्योंकि यह माना जाता है कि एक कुंवारा व्यक्ति खुद पर अधिक खर्च करेगा। अन्यथा, कम समय में उसकी शादी होने की भी संभावना है, ऐसी स्थिति

[1] एआईआर **2009** एससी **3104**

में माता-पिता और भाई-बहनों के योगदान में भारी कटौती होने की संभावना है। इसके अलावा, इसके विपरीत साक्ष्य के अधीन, पिता की अपनी आय होने की संभावना है और उसे आश्रित नहीं माना जाएगा और अकेले मां को आश्रित माना जाएगा। इसके विपरीत साक्ष्य के अभाव में, भाइयों और बहनों को आश्रित नहीं माना जाएगा, क्योंकि वे या तो स्वतंत्र होंगे और कमाएंगे, या विवाहित होंगे, या पिता पर निर्भर होंगे। इस प्रकार, भले ही मृतक के माता-पिता और भाई-बहन जीवित हों, केवल मां को ही आश्रित माना जाएगा, और 50% को स्नातक के व्यक्तिगत और रहने के खर्च के रूप में माना जाएगा और 50% को परिवार में योगदान के रूप में माना जाएगा। हालाँकि, जहां कुंवारे का परिवार बड़ा है और मृतक की आय पर निर्भर है, जैसे कि उस मामले में जहां उसकी विधवा मां और बड़ी संख्या में छोटी गैर-कमाऊ बहनें या भाई हैं, उसके व्यक्तिगत और जीवनयापन के खर्च को एक तिहाई तक सीमित किया जा सकता है और परिवार के लिए योगदान को दो तिहाई के रूप में लिया जाएगा। ”

(4) यह स्पष्ट है कि उपरोक्त अनुपात उस स्थिति से संबंधित नहीं है जहां मृतक ने आश्रित-दावेदार के रूप में केवल अपनी विधवा को छोड़ा था, लेकिन उपरोक्त अनुपात वास्तव में एक सुराग प्रदान करता है कि यदि मृतक कुंवारा था और आश्रित उसके माता-पिता अकेले थे , कुंवारे लोगों में अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा अपने निजी खर्चों पर खर्च करने की प्रवृत्ति होगी। इसलिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि यदि स्नातक की मृत्यु अपने माता-पिता को अकेला छोड़कर हुई है, तो मृत स्नातक की आय का 50% उसके व्यक्तिगत खर्चों के लिए काटना आदर्श होगा। लेकिन मेरे विचार में, एक विवाहित व्यक्ति परिवार में अधिक जिम्मेदार हो जाता है, भले ही उसके कोई संतान न हो। एक मृत विवाहित व्यक्ति की तुलना एक मृत कुंवारे व्यक्ति से नहीं की जा सकती। यदि किसी व्यक्ति की शादी हो चुकी है तो उसकी प्रवृत्ति अपने बच्चों की देखभाल के लिए अपनी अच्छी-खासी आय बचाने की होती है, जो बाद में पैदा होंगे। इसके अलावा, उसे अपनी पत्नी के चिकित्सा खर्चों के लिए भी बचत करनी होगी जो जल्द ही गर्भवती हो सकती है। इसलिए, मेरे विचार से, मृतक की आय का केवल एक तिहाई हिस्सा ही काटना उचित होगा। यदि वह अपने पीछे केवल अपनी विधवा को छोड़ गया है।

(5) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, मुझे लगता है कि ट्रिब्यूनल ने मृतक की आय का एक तिहाई हिस्सा उसके व्यक्तिगत खर्चों के लिए सही ढंग से काटा है। मुझे ट्रिब्यूनल द्वारा पारित

फैसले में कोई त्रुटि नहीं मिली। अपील विफल हो जाती है और इसे तत्काल ख़ारिज कर दिया जाता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए हैताकि वह अपनी भाषा में इसेसमझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

सिद्धार्थ कपूर

प्रशिक्षु न्यायिक पदाधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

फरीदाबाद, हरियाणा